राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (5) वन/2023 जयपुर, दिनांकः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

**विषयः**–Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338+958 on NH- 52(old NH1-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner_in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FP/RJ/Approch/148278/2021) )

**संदर्भः**–आपका पत्रांक एफ 14 (535/47)2021/एफसीए/प्रमुवस/4488 दिनांक 13.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 के अन्तर्गत ग्राम मालखेडा, तहसील सीकर जिला सीकर के नये खसरा नम्बर 546/157 एवं 632/544 (पुराना खसरा 544/157 एवं 546/157) के 341 Chainage No. - 338-923 to 338+958 on NH- 52(old NH-11 ) हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1649 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14( 543/47)2021/एफसीए/प्रमुवस/6894 दिनांक 27.07.2023 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338+958 on NH- 52(old NH1-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner_in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FP/RJ/Approch/148278/2021) ) की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.02 12:19:26 IST
Reason: Approved



Scanned with OKEN Scanner

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ताा अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 07.03.2022 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

**भवदीया,**

**( मोनाली सेन )**
**विशेषाधिकारी**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. उप वन संरक्षक, सीकर ।
7. Manager Retail sales, JAIPUR DIVISIONAL OFFICE 1st FLOOR INVESTMENT BUILDING PHASE-11,NEAR AMBEDKAR CIRCLE BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR
8. रक्षित पत्रावली।

**विशेषाधिकारी, वन**

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.02 12:19:26 IST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystem\DMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\4429563_15437479251495747 25.docx
RajKaj Ref No. : 4429563

Scanned with OKEN Scanner